न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **23/2023** दायर दिनाँक **27.07.2023**

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1. भागूराम पुत्र बक्शाराम जाति जाट निवासी जतनपुरा तह. डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान।	बनाम	1. फेजू खां पुत्र भंवरू खां 2. आरिफ पुत्र शफी खां पुत्र भंवरू खां 3. अहसान पुत्र शफी खां पुत्र भंवरू खां 4. मुमताज पत्नी शफी खां 5. अयूब खां पुत्र आलम अली 6. मुराद खां पुत्र आलम अली 7. मनवर खां पुत्र आलम अली 8. जसवन्त खां पुत्र आलम अली 9. इब्राहिम खां पुत्र अब्दु खां 10. युसुफ खां पुत्र अब्दु खां 11. मुन्शी खां पुत्र सरदार खां 12. बिसु बानों पत्नी खाजु खां 13. असलम खां पुत्र खाजु खां 14. उस्मान खां पुत्र खाजू खां 15. खान मोहम्मद पुत्र मालम खां 16. महबूब खां पुत्र मालम खां 17. मांगू खां पुत्र यासीन खां 18. सरवर खां पुत्र यासीन खां फौत 18/1 मांगी बानों पत्नी सरवर खां 18/2 सदीक खान पुत्र सरवर खां 18/3 मोनिश खान पुत्र सरवर खां 18/4 रजिया बानों पुत्री सरवर खां 18/5 फरजाना बानों पुत्री सरवर खां 19. लियाकत खां पुत्र यासीन खां 20. हनीफ खां पुत्र यासीन खां 21. इशाक खां पुत्र यासीन खां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण जतनपुरा बेरी खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राज. 22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:52:08 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः–

1. श्री हरफूल वकील प्रार्थी।

दिनाँक **16.04.2025**

संक्षेप में प्रार्थी की प्रार्थना इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 365 रकबा 1.3600 हैक्टे0 मौजा जतनपुरा, पटवार हल्का बेरीखुर्द, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र नूंवा, तहसील मौलासर में अवस्थित है। उक्त खेत खसरा नम्बर 365 तक पहुंचने हेतु प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। जिस हेतु नये कट्टाणी रास्ते के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उपधारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमती लेना चाहते है।

अप्रार्थीगण 3 ता 9 बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित। एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में तहसीलदार, मौलासर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मौलासर ने अपने पत्रांक राजस्व/2023/1365 दिनांक 19.10.2023 के अनुसार आवेदक के खेत के कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है। आवेदक के खेत तक कटाणी रास्ता नहीं होने से रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करवाने की आवश्यकता है। आवेदक के खेत खसरा संख्या 365 से कटाणी रास्ते की न्युनतम दूरी खसरा संख्या 363 की दक्षिणी सीमा पर लम्बाई 70 मीटर है किन्तु वर्तमान में दक्षिणी सीमा से 10 फिट की दूरी पर सीमेंट ब्लॉक की चुनाई कर उपर टीनशेड डालकर नया निर्माण किया हुआ है। जो दक्षिणी सीमा से 10 फुट छोडकर 20 X 12 फिट में निर्माण है। नये निर्माण व दक्षिणी सीमा के मध्य मात्र 10 फिट खाली भूमि होने रास्ते की पर्याप्त चौडाई नहीं होने से रास्ता की चौडाई मध्य में मात्र 10 फिट रहती है। खसरा संख्या 365 के उत्तर में स्थित खसरा संख्या 367 भी आवेदक की खातेदारी भूमि है जिससे न्युनतम देरी खसरा संख्या 363 की उत्तरी सीमा पर लम्बाई 100 मीटर है। आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते खसरा संख्या 363 की दक्षिणी सीमा पर का क्षेत्रफल 70 मीटर X 9.14 मीटर = 640 वर्ग मीटर तथा खसरा संख्या 363 की उतरी सीमा पर रास्ते की भूमि का क्षेत्रफल 100 मीटर X 9.14 मीटर = 914 वर्ग मीटर होता है। प्रकरण में तहसीलदार मौलासर से पुनः तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मौलासर ने अपने पत्रांक रीडर/25/378 दिनांक 24.03.2025 के अनुसार किन्तु वर्तमान में खसरा संख्या 363 की उत्तरी सीमा के पास पक्का निर्माण ईंट व सीमेंट की चुनाई कर उपर टीनशेड डालकर नया निर्माण किया हुआ है। पूर्व में उक्त प्रकरण के संबंध में मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 13.10.2023 को तत्समय खसरा संख्या 363 की उत्तरी सीमा पर कोई निर्माण नहीं था।

तहसीलदार मौलासर की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व अप्रार्थीगण के खेत खसरा न. 363 की दक्षिणी सिंव के मार्क A से B प्रस्तावित [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। [illegible] तहसीलदार मौलासर की रिपॉर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:52:08 IST
Reason: SelfAttested

—:: आदेश ::—

प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत 365 रकबा 1.3600 हैक्टे0 मौजा जतनपुरा में आवागमन हेतु तहसीलदार मोलासर की मौका रिपोर्ट राजस्व/2023/1365 दिनांक 19.10.2023 में दर्शित भूमि अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 363 वाके सरहद जतनपुरा में दर्शित मार्क A से B क्षैत्रफल 70 मीटर X

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

6.09 मीटर (20फिट) = 426 वर्ग मीटर रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार मौलासर राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करने से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का नियमानुसार प्रभावित खातेदारान् को भूगतान करावे। तहसीलदार मौलासर की मौका रिपोर्ट पत्रांक: राजस्व/2023/1365 दिनांक 19.10.2023 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

Vikas

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनॉक **16.04.2025** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:52:08 IST
Reason: SelfAttested